10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रं. /पीबीआर/2017/निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2017/3990

एम.के. नारायण बिल्डर्स एण्ड डव्हलपर्स द्वारा के.के. अग्रवाल पुत्र स्व. जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल निवासी- मैदाई मोहल्ला, उपनगर व जिला ग्वालियर ......आवेदक

विरूद्ध

1. कलेक्टर जिला ग्वालियर
2. अतिरिक्त कलेक्टर जिला ग्वालियर
3. भू-अभिलेख अधीक्षक, ग्वालियर
4. नायब तहसीलदार वृत बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

25.10.17

पेशी दि० 9.11.17

Noted 25/10/17

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रं. 8-भू.अ./19-11/कम्प्यूटर/2016 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर आदेश दिनांक 16.02.2017 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी / ग्वालियर / भू.रा. / 2017 / 3990

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण में वर्णित समयावधि में पदस्थ दोषी कर्मचारी / अधिकारी के नाम प्राप्त कर तथा रिकार्ड रूम से खसरा पांचसाला से डिटेल जांच कर अभिमत सहित प्रतिवेदन अधीक्षक, भू–अभिलेख से चाहा गया है । अतः स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा विधिक आदेश पारित नहीं किया जाकर प्रशासनिक स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	